GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
DEPARTMENT OF FERTILIZERS

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION **NO. 3335** TO BE ANSWERED **ON: 05.08.2022**

Distribution of Fertilizers

3335. SHRI JANARDAN SINGH SIGRIWAL:
SHRI PASHUPATI NATH SINGH:

Will the **Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS** be pleased to state:

(a) whether the Government has taken any special steps for uninterrupted distribution of fertilizers across the country including Bihar and Jharkhand;
(b) if so, the details thereof;
(c) whether the Government proposes to increase the number of fertilizer centers along with its technological up gradation for providing information regarding fertilizers and other related items in coordination with the State Governments of Bihar and Jharkhand; and
(d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR CHEMICALS AND FERTILIZERS
(SHRI BHAGWANTH KHUBA)

(a) & (b): The Department of Fertilizers ensures timely and adequate availability of fertilizers at the State level to meet the requirements as assessed by Department of Agriculture & Farmers Welfare (DA&FW). However, the distribution of fertilizers to the farmers within the State is the responsibility of the respective State Governments. Fertilizer is being sold at the state/district/village level through fertilizer dealers/retailers whose dealership or retailership is governed as per the provisions of Fertilizer (Control) Order, 1985.

(c) & (d): The Government do not have any proposal to increase Fertilizer sale points in the country as the matter lies within the jurisdiction of the State Government and the commercial consideration of the fertilizer companies.

****

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **3335**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 5 अगस्त, 2022/14 श्रावण, 1944 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों का वितरण

3335. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:
श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार और झारखंड सहित सम्पूर्ण देश में उर्वरकों के निर्बाध वितरण के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार बिहार और झारखंड की राज्य सरकारों के समन्वय से उर्वरकों और अन्य संबंधित मदों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु उर्वरक केंद्रों की संख्या बढ़ाने तथा उनके तकनीकी उन्नयन का है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(भगवंत खुबा)

(क) और (ख): उर्वरक विभाग कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) द्वारा आकलित किये गये अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु राज्य स्तर पर उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तथापि, राज्य में किसानों को उर्वरकों का वितरण करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य/जिला/ग्राम स्तर पर उर्वरक की बिक्री ऐसे उर्वरक डीलरों/खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से की जा रही है जिनकी डीलरशिप या रिटेलरशिप उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के अनुसार शासित होती है।

(ग) और (घ): सरकार के पास देश में उर्वरक बिक्री केन्द्रों को बढ़ाने को कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार और उर्वरक कंपनियों के वाणिज्यिक विचार के तहत आता है।

******